क्रम-संख्या–64(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 24 मार्च, 2021

चैत्र 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग–3

———

संख्या 01/2021-419–46-3-21-1607-2004

लखनऊ, 24 मार्च, 2021

———

अधिसूचना

प0आ0–104

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) की धारा 28 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 15 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

नियम 49 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 49 के स्थान पर, स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
49–किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से अंशदान देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद् को संदेय होगा : परन्तु पेराई सीजन 2019–20 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय अंशदान का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के तीन प्रतिशत के स्थान पर पाँच रूपये पचास पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।	49–किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से अंशदान देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद् को संदेय होगा : परन्तु पेराई सीजन 2020–21 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय कमीशन का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के तीन प्रतिशत के स्थान पर पाँच रूपये पचास पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।

आज्ञा से,
संजय आर भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2021-419–46-3-2021-1607-2004, dated March 24, 2021 :

No. 01/2021-419–46-3-2021-1607-2004

Dated Lucknow, March 24, 2021

In exercise of the powers under section 28 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act No. XXIV of 1953) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954 :-

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (THIRTIETH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulatin of Supply and Purchase) (Thirtieth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from 15th February, 2021.

Amendment of rule 49

2. In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954 for rule 49 set out in Column-I below, the rule as set out in column-II shall be *substituted,* namely :-

COLUMN-1 *Existing Rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
49. The Occupier of a factory shall pay contribution on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council:	49. The Occupier of a factory shall pay contribution on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council:
Provided that the contribution payable on cane purchased during cruching season 2019-20 shall be paid at the rate of five rupees and fifty paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (FRP).	Provided that the commission payable on cane purchased during crushing season 2020-21 shall be paid at the rate of five rupees and fifty paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (FRP).

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 21 राजपत्र–2021–(27)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 चीनी उद्योग–2021–(28)–1000–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।